उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या. 2025 में शमीम अंसारी, याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्र.

प्रतिवादी

श्री मोहम्मदसफदर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री संदीप टंडन, राज्य के लिए सहायक सरकारी अधिवक्ता के साथ उप महाधिवक्ता सुश्री मनीषा राणा सिंह ।

माननीय लोकपाल सिंह, न्यायाधीश

यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई हैः

i) दिनांक 12.10.2018 को आईपीसी की धारा 420 और ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 की धारा 103 और 104 के तहत मामला अपराध संख्या 495/2018 के रूप में कोतवाली गंगनहर रूड़की जिला हरिद्वार में दर्ज की गई विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें उत्तरदाताओं को केस अपराध संख्या 495/2018 में आईपीसी की धारा 420 और ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 103, 104 के तहत वर्तमान याचिका के लंबित रहने तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया जाए।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप यह है कि दिनांक 11.10.2018 को प्रतिवादी सं. 3 को सूचना प्राप्त हुई कि क्वालिटी पेंट्स रामनगर औद्योगिक क्षेत्र रूड़की में नकली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी का निर्माण एवं बिक्री की जा रही है।

इस सूचना पर शिकायतकर्ता अपनी कंपनी के एक अन्य अधिकारी के साथ रुड़की पहुंचा और पुलिस की मदद से उक्त कारखाने में गया जहां बिड़ला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी के कुछ खाली थैले और नकली पुट्टी से भरे कुछ थैले बरामद किए गए।यह भी आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता और पुलिस को देखकर कारखाने का मालिक (याचिकाकर्ता) मौके से भाग गया।उनका सेवक मनोज मौके पर मिला।जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कारखाने के मालिक का नाम शमीम अंसारी (वर्तमान याचिकाकर्ता) बताया।उन्होंने देहरादून रोड पर टाटा शो रूम के पास सालियार में एक कारखाने के बारे में भी बताया, लेकिन जब वे उक्त कारखाने में पहुंचे तो पता चला कि उक्त कारखाने में शिकायतकर्ता के कारखाने का उत्पाद नहीं बनाया जा रहा है।

3. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन किया है।

A. यह अच्छी तरह से तय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को पूरी तरह से शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे बढ़ना होगा।न्यायालय के पास आरोपों की शुद्धता की जांच करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य और अन्य बनाम जन लाल और अन्य, 1992 एससीसी (सीआरआई) 426 के मामले में उदाहरण के के माध्यम से मामलों को वर्गीकृत किया है, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है:

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें अंकित मूल्य पर लिया गया हो और पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) से पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत माना गया है।

(5) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने हास्यास्पद तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में संस्था को और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी या व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आती है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध होने का संकेत मिलता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने दलीलों में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया है कि वह किस ब्रांड नाम के तहत कथित वस्तु का निर्माण कर रहा है, केवल इतना ही अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता के पास मेसर्स क्वालिटी पेंट्स कंपनी नामक एक स्वामित्व फर्म है जो जीएसटी के साथ पंजीकृत है और उसका पंजीकरण नंबर 05GIAPS1520K1ZC है। इसके अलावा, दलीलों में ऐसी कोई कानाफूसी नहीं है कि पुलिस सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी किए बिना याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।

7. चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का दलीलों में खंडन नहीं किया गया है, इसलिए अदालत याचिकाकर्ता के पक्ष में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है।

इसके अलावा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप भी बेतुके नहीं लगते; ऐसा भी नहीं लगता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी गलत मकसद से दर्ज की गई है।ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला भजन लाल (उपरोक्त) मामले में वर्णित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है।

8. अब, अगला प्रश्न जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए उठता है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए दायर याचिका में याचिकाकर्ता किसी अंतरिम सुरक्षा का हकदार है या नहीं।याचिकाकर्ता की ओर से कोई दलील नहीं दी गई है कि जांच अधिकारी सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी किए बिना याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है ।यद्यपि अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के रूप में याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए असाधारण क्षेत्राधिकार है, लेकिन तथ्य यह है कि इस न्यायालय ने पिछले पैराग्राफ में देखा है कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। इस प्रकार, इस न्यायालय के अनुसार, यदि याचिकाकर्ता को अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, तो याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आवेदन दायर करके संबंधित अदालत से संपर्क कर अग्रिम जमानत मांगने का कानूनी अधिकार है।

9. उत्तर प्रदेश राज्य ने यू.पी. अधिनियम 1976 बनाया था।धारा 9 में प्रावधान किए गए जिसके तहत सीआरपीसी की धारा 438 को 28.11.1975 से हटा दिया गया था ।
09.11.2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ।

उत्तर प्रदेश राज्य में नियत तिथि पर लागू होने वाला कानून उत्तराखंड राज्य में लागू होता है।संसद ने अपने विवेक से सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों में संशोधन किया है और 2005 के अधिनियम संख्या 25 को धारा 38 में अधिनियमित किया है जिसके तहत सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों को लागू किया गया है जो यहां नीचे दिया गया है:

"438.गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने के लिए निर्देश- [(1) जहां किसी व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है। इस धारा के तहत एक निर्देश कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा; और वह न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारकों पर विचार करने के बाद, अर्थात्:

(i) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;

ii) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमें यह तथ्य शामिल है कि क्या वह पहले किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर कारावास की सजा काट चुका है;

(iii) आवेदक के न्याय से भागने की संभावना; और

(iv) जहां आरोप चोट पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया है या तो आवेदन को तुरंत खारिज कर दिया जाए या अग्रिम जमानत देने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया जाए:

बशर्ते कि, जहां उच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, सत्र न्यायालय ने इस उप-धारा के तहत कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है या अग्रिम जमानत देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया है, तो ऐसे आवेदन में पकड़े गए आरोप के आधार पर आवेदक को वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी अधिकारी या पुलिस स्टेशन खुला रहेगा।

(1 -ए) जहां न्यायालय उप-धारा (1) के तहत अंतरिम आदेश देता है, वह तुरंत सात दिनों से कम का नोटिस नहीं देगा, साथ ही ऐसे आदेश की एक प्रति लोक अभियोजक और पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी, ताकि लोक अभियोजक को सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जा सके जब आवेदन की अदालत द्वारा अंतिम सुनवाई की जाएगी।

(1 -बी) अग्रिम जमानत मांगने वाले आवेदक की उपस्थिति आवेदन की अंतिम सुनवाई और अदालत द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के समय अनिवार्य होगी, यदि लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर, अदालत न्याय के हित में ऐसी उपस्थिति को आवश्यक समझती है।

10. संसद द्वारा बनाए गए कानून और सीआरपीसी में अग्रिम जमानत के लिए बनाए गए प्रावधान उत्तराखंड राज्य द्वारा इस संबंध में एक विशिष्ट कानून बनाकर इसे छोड़ा नहीं गया है।इस प्रकार, इस न्यायालय के मद्देनजर, 2005 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधान, उत्तराखंड राज्य में लागू हैं।2005 के अधिनियम संख्या 25 के प्रावधानों का नोटिस न्यायालय द्वारा पहले नहीं लिया गया है।चूंकि, सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधान उत्तराखंड राज्य में लागू हैं, इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के समक्ष अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने पर अग्रिम जमानत का लाभ उठाने का उपाय उपलब्ध है।

11. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निपटारा कर दिया जाता है।आदेश की कोई लागत नहीं ।

(लोक पाल सिंह, न्यायाधीश) 30.10.2018

रजनी